

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुन्नाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

रुकमणी पत्नि रामरतरुण भीणा नि. लुहरीखुर्द

बनाम

भीतडा पिता गाना भीणा नि. लुहरीखुर्द वगैरा

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 31/1/2022

तारीख हुवम	हुवम या कार्यावाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
18.04.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जॉन्ट रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम लुहरीखुर्द प. ह. लुहरीखुर्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 712 कुल किता 01 रकबा 0.1188 हैक्टेयर तथा ग्राम लुहरीखुर्द प. ह. लुहरीखुर्द में स्थित आ. न. 647, 650, 651, 652, 972 कुल किता 05 रकबा 0.3024 हैक्टेयर, ग्राम लुहरीखुर्द प. ह. लुहरीखुर्द में स्थित आ. न. 691 कुल किता 01 रकबा 0.0216 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम लुहरीखुर्द प. ह. लुहरीखुर्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 712 कुल किता 01 रकबा 0.1188 हैक्टेयर तथा ग्राम लुहरीखुर्द प. ह. लुहरीखुर्द में स्थित आ. न. 647, 650, 651, 652, 972 कुल किता 05 रकबा 0.3024 हैक्टेयर, ग्राम लुहरीखुर्द प. ह. लुहरीखुर्द में स्थित आ. न. 691 कुल किता 01 रकबा 0.0216 हैक्टेयर की पडौसियान की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहरीकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="center"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	